प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 14.08.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 279,338 भादवि के 01 आरोपी को 15 दिन का साधारण कारावास एवं कुल 1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना निगोही पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एसजेएम - 02 शाहजहाँपुर में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना निगोही में आरोपी कुलदीप पुत्र शम्भू नि0 अकला निगोही द्वारा वादी को लापरवाही से टेम्पो चलाकर टक्कर मारकर गम्भीर घायल कर देने के आरोप में 15 दिन का साधारण कारावास एवं कुल 1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण-

कुलदीप पुत्र शम्भू नि0 अकला निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 - 130/2019 धारा 279,338 भादवि थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर में आरोपी कुलदीप पुत्र शम्भू नि0 अकला निगोही द्वारा वादी को लापरवाही से टेम्पो चलाकर टक्कर मारकर गम्भीर घायल कर देने के आरोप में 15 दिन का साधारण कारावास एवं कुल 1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।